शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः-4/2023/4577/77-4-23-4389/22

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/यूपीडा एवं
यूपीसीडा, औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 02 अगस्त, 2023

विषयः- बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए भूमि क्रय करने, प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भूमि क्रय के लिए ऋण के मद में आवंटित धनराशि रूपये **8000** करोड़ की कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए भूमि क्रय करने, प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भूमि क्रय के लिए ऋण के मद में धनराशि रू0 8000 करोड़ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के निवर्तन पर रखी गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए भूमि क्रय करने, प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भूमि क्रय के लिए ऋण के मद में आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में योजना की रूप-रेखा एवं क्रियान्वयन तथा ऋण की शर्तें निम्नवत निर्धारित की जाती हैं:-

2.1 **(1)** उक्त ब्याजमुक्त ऋण की धनराशि रूपये **8000** करोड़ में से रूपये **5000** करोड़ की धनराशि नवसृजित होने वाले बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन एवं उसके विकास हेतु उपयोग में लायी जाएगी।

(2) उक्त धनराशि में से प्रारम्भिक तौर पर यूपीसीडा द्वारा बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से भूमि क्रय हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि जिलाधिकारी, झांसी को उपलब्ध करायी जाएगी। जब बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का औपचारिक गठन हो जाएगा तथा प्राधिकरण में कार्मिकों की तैनाती हो जाएगी, तब शेष धनराशि भूमि क्रय एवं विकास कार्यो हेतु नवगठित बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(3) स्वीकृत धनराशि में से भूमि विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों का अनुमोदन प्रस्तर-**2.3** में उल्लिखित समिति द्वारा किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) राजकोष से आहरित धनराशि पर ब्याज अर्जित होने की स्थिति में ब्याज की धनराशि राज्य की समेकित निधि में समय से जमा किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) यूपीसीडा/बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाएगा।

2.2. अवशेष रू**0 3000** करोड़ में से आवश्यकतानुसार भूमि क्रय हेतु धनराशि बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा मांग किए जाने पर निम्न शर्तों के अनुसार उपलब्ध करायी जाएगी:-

(1) भूमि की लागत का **50** प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण के रूप में तथा शेष **50** प्रतिशत धनराशि का वित्त पोषण सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा वित्तीय संस्थाओं/स्वयं के स्रोतों से कराया जाएगा।

(2) स्वीकृत ऋण की धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-2-2023-77-4099-531-2022-002-1655, दिनांक 22 मार्च 2023 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत ऋण की धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।

(4) सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाएगा।

2.3. सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि क्रय एवं भूमि विकास के कार्यों का अनुमोदन अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित निम्नलिखित समिति द्वारा किया जाएगा :-

i	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।	-	सदस्य
ii	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग।	-	सदस्य
iii	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।	-	सदस्य
iv	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग।	-	सदस्य
v	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग।	-	सदस्य
vi	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।	-	सदस्य
vii	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा।	-	सदस्य
viii	विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	-	सदस्य-सचिव

वित्तीय वर्ष **2023-24** एवं उसके उपरान्त आगामी वर्षों में भी इस मद में प्राविधानित धनराशि के कार्यों को स्वीकृत करने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उपरोक्त समिति अधिकृत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.4. (1) बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए प्रस्तावित रू0 5000 करोड़ के ऋण संवितरण के 5 वर्ष के उपरांत परियोजना की समीक्षा करते हुए ऋण अदायगी की शर्तों अर्थात मोरेटोरियम अवधि तथा इसके उपरान्त ऋण की वसूली की अवधि के संबंध में वित्त विभाग तथा प्रशासकीय विभाग द्वारा परस्पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा।

(2) प्रशासकीय विभाग द्वारा यूपीसीडा के लिए रीपेमेंट शेड्यूल निर्गत किया जायेगा तथा रीपेमेंट शेड्यूल के अनुसार ऋण अदायगी का अनुश्रवण किया जायेगा। यूपीसीडा द्वारा ऋण की किश्त जमा कर ततसंबंधी चालान की सत्यापित प्रतिलिपि प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यूपीसीडा तथा बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण/अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मध्य ऋण अनुबंध (Loan agreement) हस्ताक्षरित किया जायेगा जिसमें ऋण के प्रतिदान (Repayment of Loan) के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान अंकित हो। यूपीसीडा द्वारा समस्त प्राधिकरणों के लिए रीपेमेंट शेड्यूल निर्धारित किया जाएगा तथा प्राधिकरणों से तदनुसार ऋण की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

(4) यूपीसीडा द्वारा सभी सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से ऋण की वसूली रीपेमेंट शेड्यूल के अनुसार कर, ऋण अदायगी की किश्त राजकोष में समय से जमा की जाएगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्या:-4/2023/4577(1)/77-4-2023तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. सम्बन्धित वित्त नियंत्रक।
8 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।